**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 23/2014 (राजसमन्द डिकी)**

चुनिया पिता रामा जी भील, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती गंगावाई पत्नी चुन्नीलाल जी भील, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. किशनलाल पिता चुन्नीलाल जी भील, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. भैरूलाल पिता चुन्नीलाल जी भील, निवासी आगल गांव, तहसील आमट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. माधवलाल पिता चुन्नीलाल जी भील, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मन्ना पिता दोला जी भील, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. त्रिलोक पिता रामा जी भील, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिकी उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 01.02.2012 प्र.सं. 192/10

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1

———:::———

निर्णय दिनांक

22–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आंगल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 18 रकबा 3.1350 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही है। उक्त भूमियों में वादीगण का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। अतः निवेदन किया कि वाद वर्णित कुल किता 18 रकबा 3.1350 हैक्टर भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि उसके द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गयी है तथा उसके हिस्से में आने वाली जमीन की उची कोट की गयी है तथा भूमि को काश्त योग्य बनाया है। अतः यदि विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादी के कब्जे की जमीन उसे विभाजन में दी जाव।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 13–04–2011 से वादी का वाद स्वीकार कर डिकी किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 01–02–2012 को प्रकरण में अंतिम डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–06–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अपने अधिवक्ता के पास अभी 2 दिन पूर्व प्रकरण की जानकारी करने गया तो उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 01–02–2012 को अंतिम डिक्री अपीलान्ट/वादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है, तद्नुसार निर्णय की जानकारी नहीं होने का जो आधार अपीलान्टगण द्वारा लिया गया है, वह विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मुकेश देवपुरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष को बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का सही अवलोकन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकियात कायत किये बगैर प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13–04–2011 को पारित करने में विधिक भूल की है तथा विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि प्रकरण में जहां तक प्रारम्भिक डिक्री का प्रश्न है, यह अपील अपीलान्टगण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गयी है, अतः उस पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं, किन्तु जहां तक

अंतिम डिक्री का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट/वादीगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जबकि विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए था, तद्नुसार प्राप्त विभानज प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्राकृतिक न्याय एवं विधि क विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–02–2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार उभयपक्षों की उपस्थिति में तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर यदि पक्षकारान की कोई आपत्तियां तो उनका निराकरण करते हुए तथा उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण में विधि के आलोक में अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ..... .....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....आमेट..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... .....2016

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ..... .<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .. .....<br>4. वकील फीस बाबत .... .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ..... .....<br>3. इजराय हुक्मनामा . ....<br>4. मेहनताना वकील..... .....<br>मीजान . .... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।